[2018] 3 उम. नि. प. 165

दिनेशभाई चंदूभाई पटेल

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

तथा

बालूभाई रावजीभाई अहीर

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

तथा

अर्जुन शंकरभाई राठौड़

बनाम

हरीशभाई रमनभाई राठौड़

तथा

मनीष पटेल (अधिवक्ता)

बनाम

हरीशभाई रमनभाई राठौड़ और अन्य

तथा

हरीशभाई रमनभाई राठौड़

बनाम

गुजरात राज्य और एक अन्य

तथा

मनहरभाई मूलजीभाई ककाड़िया

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

5 जनवरी, 2018

न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482, 157 और 154 – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को चुनौती – उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को कुछ अपराधों के संबंध में अभिखंडित करना और कुछ अपराधों के संबंध में कायम रखना – उच्च न्यायालय इस बात की परीक्षा करने के लिए कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की तथ्यात्मक अंतर्वस्तु से कोई प्रथमदृष्ट्या संज्ञेय अपराध प्रकट होता है अथवा नहीं, अन्वेषक अभिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता और न ही अपील न्यायालय की तरह शक्तियों का प्रयोग कर सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को किसी भी सीमा तक विस्तारित नहीं किया जा सकता और न ही ऐसी शक्तियों की तुलना उच्च न्यायालय की अपीली शक्तियों से की जा सकती है ।

वर्तमान मामले का संबंध एक ऐसे विवादग्रस्त भूमि के टुकड़े से है, जो कि एक कुटुम्ब के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व में था । कुटुम्ब के छह सदस्यों ने (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "परिवादी" कहा गया है) पुलिस आयुक्त के समक्ष यह शिकायत करते हुए एक संयुक्त परिवाद फाइल किया कि अपीलार्थी ने अनेक अन्य नामित व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र करके संयुक्त रूप से परिवादियों की निरक्षरता, गरीबी और अनभिज्ञता का फायदा उठाते हुए उनके साथ कपट और धोखा किया है और उनसे विवादग्रस्त भूमि के संबंध में मिथ्या हस्ताक्षरों से मिथ्या मुख्तारनामा निष्पादित कराया है । यह अभिकथन किया गया है कि इन व्यक्तियों ने पुनः इस षडयंत्र को अग्रसर करते हुए विवादग्रस्त भूमि को अनेक व्यक्तियों के पक्ष में अंतरित करा लिया तथा उन्हें विवादग्रस्त भूमि पर सन्निर्माण करने में समर्थ बनाने के लिए अवैध रूप से सन्निर्माण नक्शे मंजूर करा लिए । परिवादियों ने अपने परिवाद के साथ ऊपर नामित व्यक्तियों द्वारा अभिकथित रूप से कारित प्रथमदृष्ट्या मामला दर्शित करने के लिए समस्त विवादग्रस्त दस्तावेज़ संलग्न किए । इसके पश्चात् कलक्टर (एस. आई. टी.) के समक्ष छह नामित व्यक्तियों के विरुद्ध एक अन्य परिवाद फाइल किया गया जिसमें उन व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3, 7 और 11 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34, 114, 120ख, 420, 465, 468, 471 और 476 के अधीन दंडनीय अभिकथित अपराध कारित करने के लिए अभियोजन चलाने की ईप्सा की गई थी । उस परिवाद में पूर्ववर्ती परिवाद की तरह कुछ नए तथ्यों सहित सविस्तार अभिकथन भी उपवर्णित किए गए । इन परिवादियों में से एक परिवादी द्वारा 8 नामित व्यक्तियों के विरुद्ध कलक्टर, जिला विवाद प्रतितोष पीठ के समक्ष एक और तीसरा परिवाद फाइल किया गया था जिसमें अधिक विस्तृत तथ्यों सहित प्रथम दो परिवादों में किए गए अभिकथनों के लगभग समान अभिकथन किए गए और उसमें पूर्ववर्ती परिवादों में नामित अपराध कारित करने के लिए उन्हें अभियोजित करने की ईप्सा की गई । उपर्युक्त परिवादों के परिणामस्वरूप प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । अपीलों का प्रस्तुत समूह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन ऊपर उल्लिखित तीन परिवादों में नामित अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उच्च न्यायालय में फाइल किए गए दांडिक आवेदनों से उद्भूत हुआ है, जिसमें ऊपर उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने की प्रार्थना की गई है । उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय द्वारा दांडिक आवेदनों को भागतः मंजूर कर लिया जबकि कुछ अपराधों के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने से इनकार कर दिया । इसी निर्णय के विरुद्ध दोनों पक्षकारों, अर्थात्, परिवादियों और अभियुक्त व्यक्तियों ने व्यथित महसूस करते हुए ये अपीलें फाइल की हैं । अपीलों का तद्नुसार निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस प्रश्न के संबंध में विधि उचित रूप से सुस्थापित है कि कब किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण को संविधान के अनुच्छेद 226 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अभियुक्तों द्वारा उसे अभिखंडित करने की ईप्सा करते हुए चुनौती दी जाती है और उच्च न्यायालय की शक्तियां क्या हैं और उच्च न्यायालय को ऐसे प्रश्न के संबंध में किस प्रकार कार्यवाही करनी चाहिए । (पैरा 26)

उच्च न्यायालय अपनी उस अधिकारिता की सीमा का अनुभव करने में असफल रहा, जो कि वह अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अनेक संज्ञेय अपराध कारित किए जाने की शिकायत करने वाली किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की वैधता की परीक्षा करते समय प्रयोग करने के लिए धारण करता है । उच्च न्यायालय, इस बात की परीक्षा करने की दृष्टि से कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की तथ्यात्मक अंतर्वस्तु से कोई प्रथमदृष्ट्या संज्ञेय अपराध प्रकट होता है अथवा नहीं, अन्वेषक अभिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता और न

ही अपील न्यायालय की तरह शक्तियों का प्रयोग कर सकता है । इस प्रश्न की परीक्षा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु और सबूत की अपेक्षा न करने वाली प्रथमदृष्ट्या सामग्री, यदि कोई है, को ध्यान में रखते हुए, की जानी थी । इस प्रक्रम पर, उच्च न्यायालय साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता था और न ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु और उस सामग्री से, जिसका अवलंब लिया गया है, अपना कोई निष्कर्ष निकाल सकता था । यह तो और भी कठिन था, जब उस सामग्री के संबंध में, जिसका अवलंब लिया गया है, परिवादियों और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा विवाद किया गया हो । ऐसी स्थिति में, इस प्रक्रम पर अन्वेषक प्राधिकारी का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह जांच करे और इसके पश्चात् जैसे ही आरोप पत्र फाइल कर दिया जाता है न्यायालय का कर्तव्य बनता है कि वह ऐसी सामग्री सहित उन प्रश्नों की परीक्षा करे कि ऐसी सामग्री का कितना और किस सीमा तक अवलंब लिया जा सकता है । जैसे ही न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रथमदृष्ट्या कोई संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है तो वह अपना कार्य रोक देगा और अन्वेषण मशीनरी को संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार अपराध का पता लगाने संबंधी जांच आरंभ करने की कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात करेगा । (पैरा 30, 31 और 32)

चूंकि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, जो कि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, अपने स्वरूप में ही अंतर्निहित हैं इसलिए उन्हें किसी सीमा तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है और न ही ऐसी शक्तियों की तुलना संहिता में परिभाषित उच्च न्यायालय की अपीली शक्तियों से की जा सकती है । अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते समय इस न्यायालय द्वारा अधिकथित मापदंडों को सदैव ध्यान में रखा जाना चाहिए अन्यथा इसके परिणामस्वरूप मामले को विनिश्चित करते समय अधिकारिता संबंधी भूल कारित हो जाएगी । इस मामले में भी यही स्थिति है । परिवादों और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का परिशीलन करने पर परिवाद और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में परिवादियों द्वारा अभिकथित अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या विभिन्न संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है और इसलिए उच्च न्यायालय को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा फाइल किए गए आवेदन को भागतः खारिज करने की बजाय प्रश्नगत संपूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को कायम रखने संबंधी आवेदन को पूर्ण रूप से खारिज कर देना चाहिए था । अब यह आवश्यक हो गया है कि इस मामले का अन्वेषण, जो कि प्रश्नगत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की विषयवस्तु है, अन्वेषण प्राधिकारियों द्वारा संहिता में

विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए । (पैरा 34, 35 और 38)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2015] (2015) 11 एस. सी. सी. 730 :
जेटकिंग इन्फोट्रेन लिमिटेड बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 36

[2011] (2011) 3 एस. सी. सी. 351 :
हरशेन्द्र कुमार डी. बनाम **रेवतीलता कोले** ; 36

[1983] [1983] 1 उम. नि. प. 12 =
ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 949 :
पश्चिमी बंगाल राज्य और अन्य बनाम **स्वप्न कुमार गुहा और अन्य** । 27,37

दांडिक अपीली अधिकारिता : **2018 की दांडिक अपील सं. 12, 13, 14, 15, 16 और 17.**

2016 के विशेष दांडिक आवेदन सं. 4357 में गुजरात उच्च न्यायालय की अहमदाबाद न्यायपीठ के तारीख 10 जुलाई, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

उपस्थित होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री दुष्यंत दवे, हरिन पी. रावल, (सुश्री) मीनाक्षी अरोड़ा, यतिन ओझा, ज्येष्ठ अधिवक्ता, (सुश्री) गरिमा बजाज, प्रद्युमन गोहिल, (श्रीमती) तरुणा सिंह गोहिल, मोहित पॉल, पुनीत के. जी., अनुग्रह नीरज एक्का, शमिक संजनवाला, सुनील कौंडल, कैलाश पांडेय, रंजीत सिंह, गैचांगपोउ गैंगमई, महेश अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल, ई. सी. अग्रवाल, पुरविश जितेन्द्र मलकान, अपूर्व कपाड़िया, (सुश्री) धरिता पी. मलकान, (सुश्री) हेमन्तिका वाही, (सुश्री) जेसल वाही, (सुश्री) पूजा सिंह और (सुश्री) शोधिका शर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – इजाजत दी जाती है ।

2. ये अपीलें गुजरात उच्च न्यायालय की अहमदाबाद न्यायपीठ द्वारा 2016 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/आदेश को अभिखंडित और अपास्त करने के लिए) सं. 16731, 2016 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 13733 और 14842, 2016 के विशेष दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 4387, 4357 और 4951, 2016 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 16731 में 2016 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 32440 में पारित तारीख 10 जुलाई, 2017 के उस एक ही अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने संबंधी आवेदन को भागतः मंजूर कर लिया था ।

3. अपीलों के इस समूह में अंतर्वलित विवाद्यकों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से कुछ सुसंगत तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है । ये तथ्य विशेष इजाजत याचिका से संबंधित पेपरबुक में से लिए गए हैं ।

4. अपीलों के इस समूह के पक्षकारों के बीच उद्भूत होने वाले विवाद का संबंध आवश्यक रूप से ग्राम अल्थान, तालुका एवं शहर – सूरत में स्थित टाउन प्लानिंग स्कीम सं. 36 (अल्थान) के 3475 वर्ग मीटर माप वाले प्लॉट सं. 71, सर्वेक्षण सं. 96/3/2, ब्लॉक सं. 121 में 5281 वर्ग मीटर माप वाले भूखंड से है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विवादग्रस्त भूमि" कहा गया है) ।

5. विवादग्रस्त भूमि राठौड़ कुटुम्ब के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व में थी, जो कि उनके अनुसार हलपई जाति के थे ।

6. राठौड़ कुटुम्ब के छह सदस्यों ने (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "परिवादी" कहा गया है) सूरत के पुलिस आयुक्त के समक्ष तारीख 25 अप्रैल, 2011 को एक संयुक्त परिवाद फाइल किया (उपाबंध पी-2) जिसमें यह शिकायत की गई कि दिनेशभाई चंदूभाई पटेल नामक एक व्यक्ति ने अनेक अन्य नामित व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र करके संयुक्त रूप से परिवादियों की निरक्षरता, गरीबी और अनभिज्ञता का फायदा उठाते हुए उनके साथ कपट और धोखा किया है और उनसे विवादग्रस्त भूमि के संबंध में मिथ्या हस्ताक्षरों से मिथ्या मुख्तारनामा निष्पादित कराया है । यह अभिकथन किया गया है कि इन व्यक्तियों ने पुनः इस षड्यंत्र को अग्रसर करते हुए विवादग्रस्त भूमि को अनेक व्यक्तियों के पक्ष में अंतरित करा लिया तथा उन्हें विवादग्रस्त भूमि पर सन्निर्माण करने में समर्थ बनाने के लिए अवैध रूप से सन्निर्माण नक्शे मंजूर करा लिए ।

7. संक्षेप में और सारतः, परिवादियों की शिकायत यह थी कि ऊपर नामित व्यक्तियों ने मिलकर षड्यंत्र किया और परिवादियों से कपट, धोखा, प्रवंचना, विश्वास-भंग करके उनसे उनकी ऊपर उल्लिखित बहुमूल्य भूमि छीन ली ।

8. परिवादियों ने अपने परिवाद के साथ ऊपर नामित व्यक्तियों द्वारा अभिकथित रूप से कारित प्रथमदृष्ट्या मामला दर्शित करने के लिए समस्त विवादग्रस्त दस्तावेज़ संलग्न किए और पुलिस आयुक्त से यह प्रार्थना की कि उनकी भूमि के संबध में संपूर्ण मामले की जांच कराई जाए और प्रथमतः प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करके और उसके पश्चात् एक समुचित अन्वेषण कराकर अन्वेषण को तर्कसम्मत रूप से पूरा कराया जाए, इस मामले में अंतर्वलित पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया जाए और उन्हें उन अपराधों के लिए, जो उन्होंने अभिकथित रूप से कारित किए हैं, अभियोजित किया जाए तथा उन्हें भारतीय दंड संहिता और अन्य संबंधित अधिनियमों के अधीन दंडित किया जाए ।

9. इसके पश्चात् कलक्टर (एस. आई. टी.), सूरत के समक्ष तारीख 23 जनवरी, 2012 को छह नामित व्यक्तियों के विरुद्ध एक अन्य परिवाद (उपाबंध पी-6) फाइल किया गया जिसमें उन व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3, 7 और 11 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34, 114, 120ख, 420, 465, 468, 471 और 476 के अधीन दंडनीय अभिकथित अपराध कारित करने के लिए अभियोजन चलाने की ईप्सा की गई थी । उस परिवाद में पूर्ववर्ती परिवाद की तरह कुछ नए तथ्यों सहित सविस्तार अभिकथन भी उपवर्णित किए गए ।

10. इन परिवादियों में से एक परिवादी द्वारा 8 नामित व्यक्तियों के विरुद्ध कलक्टर, जिला विवाद प्रतितोष पीठ, सूरत के समक्ष एक और तीसरा परिवाद (उपाबंध पी-13) फाइल किया गया था जिसमें अधिक विस्तृत तथ्यों सहित प्रथम दो परिवादों में किए गए अभिकथनों के लगभग समान अभिकथन किए गए और उसमें पूर्ववर्ती परिवादों में नामित अपराध कारित करने के लिए उन्हें अभियोजित करने की ईप्सा की गई ।

11. इन तीन परिवादों के परिणामस्वरूप खटोदरा पुलिस थाना, सूरत में तारीख 6 जून, 2016 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (2016 की सी. आर. सं. आई. सी. आर. सं. 90) दर्ज की गई जिसके कारण नामित अभियुक्त

व्यक्तियों द्वारा और मामलों में अभिकथित रूप से अंतर्वलित अन्य व्यक्तियों की ओर से एक के बाद एक अनेक दांडिक आवेदन, जमानत याचिकाएं आदि फाइल की गईं ।

12. ये मामले पिछले चार वर्षों के दौरान निचले न्यायालय, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय में भी एक के बाद एक फाइल किए गए थे । न्यायालयों ने अनेक आदेश पारित किए और उनमें मताभिव्यक्तियां कीं ।

13. अपीलों का प्रस्तुत समूह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संहिता" कहा गया है) की धारा 482 के अधीन ऊपर उल्लिखित तीन परिवादों में नामित अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में फाइल किए गए दांडिक आवेदनों से उद्भूत हुआ है , जिसमें ऊपर उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने की प्रार्थना की गई है ।

14. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने तारीख 10 जुलाई, 2017 के आक्षेपित निर्णय द्वारा दांडिक आवेदनों को भागतः मंजूर कर लिया और पैरा 88 में अंतर्विष्ट निर्णय का निम्नलिखित प्रवर्तनशील भाग पारित किया, जो कि इस प्रकार है :–

> "(1) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 406, धारा 420 और धारा 120ख और अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का संबंध है, अभिखंडित की जाती है । जहां तक दो मिथ्या मुख्तारनामे तैयार करने और 73कक को मिटाने से संबंधित अभिकथनों का संबंध है, पुलिस आयुक्त, सूरत द्वारा इस संबंध में विधि के अनुसार अन्वेषण पूरा किया जाएगा ।
>
> (2) आयुक्त को यह भी निदेश दिया जाता है कि वह उन व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने भू-स्वामियों से संपर्क किया था और पुलिस आयुक्त, सूरत को संबोधित परिवादों पर उनके अंगूठों के निशान प्राप्त किए थे, अन्वेषण प्रारंभ करे । दूसरे शब्दों में, मैं आयुक्त को यह निदेश देता हूं कि वह विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए ब्लैकमेल और उद्दापन के अभिकथनों का समुचित अन्वेषण प्रारंभ करे ।"

15. इसी निर्णय के विरुद्ध दोनों पक्षकारों, अर्थात्, परिवादियों और अभियुक्त व्यक्तियों ने व्यथित महसूस करते हुए ये अपीलें फाइल की हैं ।

16. जहां तक अभियुक्त व्यक्तियों का संबंध है, उन्होंने आदेश के

उस भाग को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उनके दांडिक आवेदनों को खारिज कर दिया है और उनके विरुद्ध अभिकथित कुछ अपराधों के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने से इनकार कर दिया है । अभियुक्त व्यक्तियों के अनुसार, उच्च न्यायालय को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के एक भाग को अभिखंडित करने की बजाय संपूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित करनी चाहिए थी ।

17. जहां तक परिवादियों का संबंध है, उन्होंने निर्णय के उस भाग को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कुछ अपराधों के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित किया है । परिवादियों के अनुसार, उच्च न्यायालय को संपूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को कायम रखना चाहिए था क्योंकि वह वैध और उचित है और उसे अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अनुसार पूर्ण रूप से प्रभावी किया जाना चाहिए था ।

18. इस प्रकार विशेष इजाजत लेकर की गई अपीलों के इस समूह में परिवादियों और अभियुक्त व्यक्तियों की प्रेरणा से उनकी अपनी-अपनी अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष संपूर्ण संविवाद अब फिर से उठाया गया है ।

19. अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री मुकुल रोहतगी, डा. ए. एम. सिंघवी, श्री यतिन ओझा, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा और श्री शमिक संजनवाला और परिवादियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री दुष्यंत दवे और श्री हरिन पी. रावल की सुनवाई की गई ।

20. अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री मुकुल रोहतगी, डा. ए. एम. सिंघवी, श्री यतिन ओझा और सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने अपनी-अपनी अपीलों में बलपूर्वक यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को भागतः अभिखंडित करके ठीक किया है किन्तु संपूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने की कार्यवाही न करके गलती की है क्योंकि उन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए जिनके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को भागतः अभिखंडित किया गया है, अन्वेषक प्राधिकारियों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के शेष भाग में, जिसे कायम रखा गया है, जांच के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है ।

21. इसी निवेदन पर सभी ज्येष्ठ काउन्सेलों द्वारा अनेक दस्तावेज़ों, मुकदमेबाज़ी के पूर्ववर्ती प्रक्रम पर और आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय की मताभिव्यक्तियों का अवलंब लेते हुए यह दर्शित करने की दृष्टि से

विस्तारपूर्वक चर्चा की गई कि संपूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इससे अभियुक्त व्यक्तियों का उत्पीड़न हुआ है । इस बात पर जोर दिया गया था कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रथमदृष्ट्या मामला साबित नहीं होता है क्योंकि पक्षकारों ने मामले का निर्धारण लिखित में करा लिया था और परिवादियों ने अभियुक्त व्यक्तियों से विशाल प्रतिफल स्वीकार कर लिया था इसलिए परिवादियों के लिए अब प्रश्नगत विषयवस्तु के संबंध में अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध विलंबित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने का कोई हेतुक उद्भूत नहीं होता है । विद्वान् काउन्सेलों के अनुसार, यह विवर्जित भी है ।

22. प्रत्युत्तर में, परिवादियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री दुष्यंत दवे और हरिन पी. रावल ने इस बात पर जोर दिया कि उच्च न्यायालय को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा फाइल किए गए दांडिक आवेदनों को खारिज कर देना चाहिए था और संपूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को समग्र रूप से कायम रखना चाहिए था क्योंकि, उनके अनुसार, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उसमें नामित अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या संज्ञेय अपराध प्रकट होते थे । यह दलील दी गई थी कि अपराधों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, परिसीमा विधि लागू नहीं होती है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनेक समरूप मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है ।

23. विद्वान् काउन्सेल ने आगे यह दलील दी कि उच्च न्यायालय की ओर से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को भागतः अभिखंडित करने का विधिक न्यायौचित्य होने की बात तो अलग है, कोई भी न्यायौचित्य नहीं था और इसलिए उस सीमा तक निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है ।

24. इसी निवेदन पर विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेलों द्वारा उनकी ओर से फाइल किए गए अनेक दस्तावेज़ों का अवलंब लेते हुए, जिसके अंतर्गत मुकदमेबाज़ी के पूर्ववर्ती प्रक्रम पर और आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय की मताभिव्यक्तियों का अवलंब लेना भी शामिल है, विस्तृत रूप से चर्चा की गई और इसके साथ-साथ अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा फाइल किए गए दस्तावेज़ों, जिसके अंतर्गत उनकी अंतर्वस्तुएं और शुद्धता भी है, इनकार किया ।

25. हम पक्षकारों के विद्वान् काउन्सेलों की विस्तारपूर्वक सुनवाई करने और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, परिवादियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेलों के निवेदनों को स्वीकार

करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि उनमें बल है जबकि हम अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेलों द्वारा दी गई दलीलों में कोई सार नहीं पाते हैं ।

26. इस प्रश्न के संबंध में विधि उचित रूप से सुस्थापित है कि कब किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण को संविधान के अनुच्छेद 226 या संहिता की धारा 482 के अधीन अभियुक्तों द्वारा उसे अभिखंडित करने की ईप्सा करते हुए चुनौती दी जाती है और उच्च न्यायालय की शक्तियां क्या हैं और उच्च न्यायालय को ऐसे प्रश्न के संबंध में किस प्रकार कार्यवाही करनी चाहिए ।

27. इस न्यायालय को **पश्चिमी बंगाल राज्य और अन्य** बनाम **स्वप्न कुमार गुहा और अन्य**[1] वाले मामले में इस विवाद्यक पर विचार करने का अवसर मिला । विद्वान् मुख्य न्यायमूर्ति वाई. वी. चन्द्रचूड़ ने तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ की ओर से निर्णय सुनाते हुए निम्नलिखित सिद्धांत अधिकथित किया :–

> "क्या किसी अपराध का किया जाना प्रकट किया गया है अथवा नहीं, आवश्यक रूप से प्रत्येक विशिष्ट मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करना चाहिए । यदि सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि कोई अपराध प्रकट होता है तो न्यायालय सामान्यतः अपराध के संबंध में अन्वेषण करने में हस्तक्षेप नहीं करेगा और साधारणतया अपराध को साबित करने के लिए सामग्री एकत्र करने हेतु अपराध का अन्वेषण पूरा किया जाना अनुज्ञात करेगा ।
>
> संहिता की धारा 157 के अधीन अन्वेषण के प्रारंभ के लिए पुरोभाव्य शर्त यह है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से प्रथमदृष्ट्या यह अवश्य ही प्रकट होना चाहिए कि संज्ञेय अपराध किया गया है । यह कल्पना करना गलत है कि पुलिस को संहिता की धारा 157 के अधीन अन्वेषण प्रारंभ करने के लिए अनियंत्रित विवेकाधिकार है । जांच के लिए उनका अधिकार संज्ञेय अपराध के किए जाने के लिए संदेह करने के कारण के अस्तित्व द्वारा सशर्त है और युक्तियुक्त रूप से उनके पास इस प्रकार संदेह करने के लिए तब तक कोई कारण नहीं हो सकता जब तक कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रथमदृष्ट्या ऐसे

---

[1] [1983] 1 उम. नि. प. 12 = ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 949.

अपराध का किया जाना प्रकट न करती हो । यदि उस शर्त को पूरा किया जाता है तो अन्वेषण अवश्य ही किया जाना चाहिए । तब न्यायालय को अन्वेषण रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं है क्योंकि ऐसा करना संज्ञेय अपराधों में अन्वेषण करने के लिए पुलिस की वैध शक्ति को काटना होगा ।"

28. विधि के पूर्वोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जिसका इस न्यायालय द्वारा बाद के वर्षों में लगातार अनुसरण किया गया था, और आक्षेपित निर्णय का परिशीलन करने के पश्चात्, हम यह मत व्यक्त करने के लिए बाध्य हैं कि उच्च न्यायालय ने किसी न्यायौचित्यपूर्ण कारण के बिना उपर्युक्त प्रश्न की परीक्षा करने के लिए 89 पृष्ठों का निर्णय दिया (पेपरबुक देखिए) और इसके पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रश्नगत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का कुछ भाग विधि की दृष्टि से दूषित है क्योंकि इसमें किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता है जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का केवल एक भाग सही है जिसमें अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला प्रकट होता है और इसलिए उस सीमा तक उसमें विधि के अनुसार आगे अन्वेषण करने की आवश्यकता है ।

29. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने ऐसा करते समय वास्तव में मामले में उद्भूत होने वाले समस्त विवाद्यकों को, यह महसूस किए बिना कि वह इस प्रक्रम पर संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग कर रहा था, इस प्रकार विनिश्चित कर दिया जैसे कोई अन्वेषक प्राधिकारी या/और अपील प्राधिकारी विनिश्चित करता है ।

30. हमारी राय में, उच्च न्यायालय अपनी उस अधिकारिता की सीमा का अनुभव करने में असफल रहा, जो कि वह अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अनेक संज्ञेय अपराध कारित किए जाने की शिकायत करने वाली किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की वैधता की परीक्षा करते समय प्रयोग करने के लिए धारण करता है । उच्च न्यायालय, इस बात की परीक्षा करने की दृष्टि से कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की तथ्यात्मक अंतर्वस्तु से कोई प्रथमदृष्ट्या संज्ञेय अपराध प्रकट होता है अथवा नहीं, अन्वेषक अभिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता और न ही अपील न्यायालय की तरह शक्तियों का प्रयोग कर सकता है । हमारी राय में, इस प्रश्न की परीक्षा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु और सबूत की अपेक्षा न करने वाली प्रथमदृष्ट्या सामग्री, यदि कोई है, को ध्यान में रखते हुए, की जानी थी ।

31. इस प्रक्रम पर, उच्च न्यायालय साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता था और न ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु और उस सामग्री से, जिसका अवलंब लिया गया है, अपना कोई निष्कर्ष निकाल सकता था । यह तो और भी कठिन था, जब उस सामग्री के संबंध में, जिसका अवलंब लिया गया है, परिवादियों और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा विवाद किया गया हो । ऐसी स्थिति में, इस प्रक्रम पर अन्वेषक प्राधिकारी का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह जांच करे और इसके पश्चात् जैसे ही आरोप पत्र फाइल कर दिया जाता है न्यायालय का कर्तव्य बनता है कि वह ऐसी सामग्री सहित उन प्रश्नों की परीक्षा करे कि ऐसी सामग्री का कितना और किस सीमा तक अवलंब लिया जा सकता है ।

32. हमारी सुविचारित राय में, जैसे ही न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रथमदृष्ट्या कोई संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है तो वह अपना कार्य रोक देगा और अन्वेषण मशीनरी को संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार अपराध का पता लगाने संबंधी जांच आरंभ करने की कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात करेगा ।

33. मात्र इस तथ्य के आधार पर कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में मामले के प्रत्येक पहलू के संबंध में अधिक विस्तार से जांच की और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को भागतः अभिखंडित करने के लिए 89 पृष्ठों का निर्णय तैयार किया, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते समय अपनी शक्तियों के बाहर कार्य किया था । हम उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते हैं ।

34. चूंकि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, जो कि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, अपने स्वरूप में ही अंतर्निहित हैं इसलिए उन्हें किसी सीमा तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है और न ही ऐसी शक्तियों की तुलना संहिता में परिभाषित उच्च न्यायालय की अपीली शक्तियों से की जा सकती है । अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते समय इस न्यायालय द्वारा अधिकथित मापदंडों को सदैव ध्यान में रखा जाना चाहिए अन्यथा इसके परिणामस्वरूप मामले को विनिश्चित करते समय अधिकारिता संबंधी भूल कारित हो जाएगी । इस मामले में भी यही स्थिति है ।

35. ऊपर उल्लिखित तीन परिवादों और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का परिशीलन करने पर हमारी यह सुविचारित राय है कि परिवाद और प्रथम

इत्तिला रिपोर्ट में परिवादियों द्वारा अभिकथित अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या विभिन्न संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है और इसलिए उच्च न्यायालय को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा फाइल किए गए आवेदन को भागतः खारिज करने की बजाय प्रश्नगत संपूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को कायम रखने संबंधी आवेदन को पूर्ण रूप से खारिज कर देना चाहिए था ।

36. अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से विद्वान् काउन्सेलों ने, बहस समाप्त होने के पश्चात् संक्षिप्त टिप्पण फाइल किया और अपनी दलीलों के समर्थन में **जेटकिंग इन्फोट्रेन लिमिटेड** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] और **हरशेन्द्र कुमार डी.** बनाम **रेवतीलता कोले**[2] वाले मामलों में इस न्यायालय के दो विनिश्चयों का अवलंब लिया । हमने दोनों विनिश्चयों का परिशीलन किया है । हमारी राय में, दोनों विनिश्चय तथ्यों के आधार पर प्रभेदनीय हैं जबकि वह विनिश्चय, जिसका हमने अवलंब लिया है, इस विषय से अधिक संबद्ध है । यह इस कारण है कि प्रथमतः, अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से विद्वान् काउन्सेलों द्वारा जिन दो विनिश्चयों का अवलंब लिया गया है वे ऐसे मामले थे जिनमें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन और दूसरे मामले में भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं के अधीन न्यायालय में एक परिवाद फाइल किया गया था । इसी परिवाद को संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित अधिकारिता का अवलंब लेते हुए अभिखंडित करने की ईप्सा की गई थी । इस मामले में ऐसी स्थिति नहीं है । द्वितीयतः, इसलिए इन विनिश्चयों में संबंधित मामलों में अंतर्वलित तथ्यों को मुद्दा बनाया गया ।

37. प्रस्तुत मामले में, विशेष रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने को चुनौती दी गई है । इस न्यायालय ने **स्वप्न कुमार गुहा** (उपर्युक्त) वाले मामले में किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को चुनौती दिए जाने के संदर्भ में उच्च यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किए जाने की परीक्षा की थी । अतः, हमारी राय में, उद्धृत किए गए दोनों विनिश्चयों में अधिकथित विधि के मुकाबले **स्वप्न कुमार गुहा** (उपर्युक्त) वाले मामले में अधिकथित विधि इस मामले के तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से लागू होती है ।

38. पूर्वगामी विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, अब यह आवश्यक हो गया है कि इस मामले का अन्वेषण, जो कि प्रश्नगत प्रथम इत्तिला

---

[1] (2015) 11 एस. सी. सी. 730.

[2] (2011) 3 एस. सी. सी. 351.

रिपोर्ट की विषयवस्तु है, अन्वेषण प्राधिकारियों द्वारा संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए ।

39. हम जानबूझकर गुणागुण के आधार पर कोई मताभिव्यक्ति करने से विरत रहे हैं और मामले में उद्भूत होने वाले तथ्यात्मक विवाद्यकों पर अपना विनिश्चयाधार देने में भी विरत रहे हैं अन्यथा इससे पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव कारित हो सकता है और पुलिस प्राधिकारियों द्वारा आरंभ की गई चालू अन्वेषण प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है ।

40. यद्यपि पक्षकारों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेलों ने सैकड़ों दस्तावेज़ों के प्रति निर्देश करके मामले के गुणागुण से संबंधित मुद्दों पर बहस की किन्तु हमारी राय में, जब हम यह निष्कर्ष लेखबद्ध कर देते हैं कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का, जिसके अंतर्गत उससे संलग्न दस्तावेज़ भी हैं, पठन करने पर प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है तब तथ्य संबंधी क्षेत्र में प्रवेश करना पूर्णतः अनावश्यक है । इसलिए, हम उनकी दलीलों की विस्तारपूर्वक परीक्षा करना आवश्यक नहीं समझते हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं है इन सभी दलीलों और नासाबित किए गए और विवादित उन दस्तावेज़ों के संबंध में, जिनका पक्षकारों द्वारा अवलंब लिया गया था, जब भी अवसर उद्भूत होता है, पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर कार्यवाही की जाएगी ।

41. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, परिवादियों द्वारा फाइल की गई अपीलें, अर्थात्, 2017 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 5476 और 5475 से उद्भूत दांडिक अपीलें मंजूर की जाती हैं । आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है । हमारे आदेश के परिणामस्वरूप, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा फाइल की गईं अपीलें, अर्थात्, 2017 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 5155, 5322, 5500 और 5867 से उद्भूत दांडिक अपीलें खारिज की जाती हैं ।

42. परिणामस्वरूप, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल किए गए दांडिक आवेदन, जिनसे ये अपीलें उद्भूत हुईं हैं, खारिज किए जाते हैं ।

43. चूंकि यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट काफी समय से लंबित है, इसलिए हम अन्वेषण प्राधिकारियों को यह निदेश देते हैं कि वे किसी पक्षपात और पूर्वाग्रह के बिना शीघ्र इस मामले का अन्वेषण विधि के अनुसार पूरा करें और आगामी कार्यवाही करें ।

44. मामले को समाप्त करने से पूर्व, हम यह स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं कि इस आदेश का अर्थान्वयन इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए कि इसमें किसी मुद्दे को गुणागुण के आधार पर किसी भी रूप में विनिश्चित किया गया है । अतः, अन्वेषण प्राधिकारी मामले का अन्वेषण करते समय निचले न्यायालयों और उच्च न्यायालय द्वारा अपने-अपने आदेशों में की गई किसी भी मताभिव्यक्ति से किसी भी रीति में प्रभावित नहीं होंगे ।

अपीलों का तद्नुसार निपटारा किया गया ।

ग्रो.

[2018] 3 उम. नि. प. 180

नवीन कुमार

बनाम

विजय कुमार और अन्य

6 फरवरी, 2018

मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 2(30) और धारा 50 – मोटर यान दुर्घटना में उल्लंघनकारी यान के स्वामी का दायित्व – यान का स्वामी – जहां यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी अपने यान का विक्रय/अंतरण करने के बावजूद रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के अभिलेख में उसका नाम उस यान के स्वामी के रूप में प्रतिबिंबित होता है वहां वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यान का स्वामी माना जाएगा और स्वामी के रूप में अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा ।

प्रस्तुत मामले में, 27 मई, 2009 को घटी एक मोटर यान दुर्घटना की बाबत दो दावा याचिकाएं फाइल की गई थीं । दुर्घटना में अंतर्वलित यान बीमाकृत नहीं था और वह प्रस्तुत मामले में के प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम में रजिस्ट्रीकृत था । प्रथम प्रत्यर्थी के अनुसार, उसने उस यान का विक्रय दुर्घटना से पूर्व तारीख 12 जुलाई, 2007 को द्वितीय प्रत्यर्थी को कर दिया